राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–(1–5) 1329, 1330, 1331, 1332 व 1333/2015.....जिला.....सीकर.....

उनवान : मैसर्स गुरूकृपा कैरियर इंस्टीट्यूट, ज्योति नगर, पिपराली रोड़, सीकर

बनाम

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/09/2015	**खण्डपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्री मनोहर पुरी, सदस्य** अपीलार्थी द्वारा ये पाँच अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के स्थगन आदेश संख्या क्रमशः 67, 68, 69, 70 व 71/अपील्स–तृतीय/स्थगन/2015–16 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 03.08.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। सभी प्रकरणों में पक्षकार एवं विवाद्य बिन्दु समान होने से सभी अपीलों का निस्तारण एक ही संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है। प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी मैसर्स गुरूकृपा कैरियर इंस्टीट्यूट का सर्वेक्षण वाणिज्यिक कर विभाग की टीम द्वारा दिनांक 25.10.2013 को किये जाने पर पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा अपने विद्यार्थियों को प्रिन्टेड मैटेरियल तथा आई. कार्ड व लेबल्स का विक्रय किया जाता है। किन्तु अपीलार्थी द्वारा ना तो वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीयन करवाया गया है एवं ना ही उक्त विक्रय पर कर वसूल कर राजकोष में जमा कराया गया है। सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 01.04.2009 से पंजीयन दायित्व देते हुए आलौच्य अवधियों में बिक्रीत सामग्री पर 5 व 14 प्रतिशत की दर से कर देयता मानते हुए पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश अन्तर्गत वेट अधिनियम की धारा 25, 55, व 61 के तहत पारित करते हुए कर, ब्याज शास्ति का आरोपण किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेशों के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की गईं, साथ ही वेट अधिनियम की धारा 38(4) के तहत स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरणों में वसूली योग्य मांग राशि के स्थगन बाबत निवेदन किया गया। अपीलीय अधिकारी के पृथक–पृथक पारित किये गये आदेश दिनांक 03.08.2015 से अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना–पत्र आंशिक रूप से (धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति राशि की सीमा तक) स्वीकार करते हुए शेष राशि पर स्थगन से इंकार किया गया है। अतः अपीलीय अधिकारी के लगातार.....2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–(1–5) 1329, 1330, 1331, 1332 व 1333/2015.....जिला.....सीकर.....

उनवान : मैसर्स गुरूकृपा कैरियर इंस्टीट्यूट, ज्योति नगर, पिपराली रोड़, सीकर

बनाम

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

10/09/2015

उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा ये अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरणों में बकाया मांग राशि की वसूली के स्थगन हेतु निवेदन किया गया है। प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

अपील संख्या	क.नि.आ. दिनांक	आलौच्य अवधि	आरोपित			चाहा गया स्थगन
			कर	ब्याज	शास्ति	
1	2	3	4	5	6	7
1329/15	22.05.15	2009–10	1,49,615	1,01,755	2,99,230	2,36,370
1330/15	22.05.15	2010–11	3,28,545	1,83,985	6,57,090	4,79,630
1331/15	22.05.15	2011–12	4,55,079	2,00,263	9,10,158	6,09,792
1332/15	21.05.15	2012–13	9,64,438	3,08,626	19,28,876	11,76,564
1333/15	21.05.15	2013–14	8,06,015	1,61,205	16,12,030	8,86,570

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री जी. एन. शर्मा तथा प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री एन. के. बैद की बहस सुनी गयी।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों, अपील व स्थगन आधारों पर विचार करने के उपरान्त, **प्रकरणों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए सभी प्रकरणों में वसूली योग्य मांग राशि **(उपरोक्त तालिका के कॉलम संख्या 7 अनुसार)** की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह की अवधि में उनके समक्ष लम्बित अपीलों का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें।

उपरोक्तानुसार पाँचों अपीलों का निस्तारण किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

10.9.2015

सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर

10.9.2015

सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर